

क्र. नं. 7  
2022

मैगनाहिड 1/3 तहसील जयपुर  
कोटपूतली

310 पत्र 136 L.A. No.

1.9.22 डिप्टी वक्ता बर्थ नं अर्थात् - पत्र पेश  
विद्या। जिस पर रिपोर्ट साबित जप्त  
की गयी अर्थात् - पत्र नं राजिस्टर  
वा डिप्टी को जामि नोटीस वगैरे  
की जा गयी दिनांक 10/10/22 में पेश  
है।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटपूतली (जयपुर)

10-10-22

अधिकतम समय पर उपस्थित।  
अभिप्रेत करने पर नय स्थगित  
रहा है। फौजदारी अथवा अन्य  
कार्य में व्यस्त हो अतः पत्रावली  
दिनांक 11-11-22 को पेश हो।

11.11.22 डिप्टी वक्ता बर्थ उपर अर्थात् 2 नोटीस  
जाती होंगे पत्रावली दिनांक 14.12.2022  
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटपूतली (जयपुर)

14/12/22 डिप्टी वक्ता बर्थ उपर पर डिप्टी वक्ता उक्त  
दिनांक 16/12/2022 को पेश करे ह  
पेश है।

16/12/22 पत्रावली आज कम कोर्ट में पेश  
हुई। अन्य पत्र उपर उक्त पत्र  
को छुना गया एवं पत्रावली पर

डु.नं. 07 मंगेशासिंह बनाम एजोसिआ  
2022  
पि० पत्र 136 L.F. Act.

अपत्य विधि का अन्वयन किन्हीं  
वर्तमान एवम् विधि सम्बन्धी  
वर्ष 2074, 2077 में मंगेशासिंह  
और मंगेशासिंह दोनों ही नाम दर्ज  
होए। वर्ष 2074 में एका कोर्ट दफ्तर  
प्रस्तुत नहीं किया कि दोनों नाम  
के अन्तर्गत अलग व्यक्ति हैं एवं  
दोनों नामों का एक ही व्यक्ति  
नहीं है। वर्ष 2077 में दफ्तर को स्पष्ट  
नहीं कहा है कि विधि वर्ष  
का अन्तर्गत - पत्र अन्वयन प्रमाण है  
कि वर्ष 2074 का अन्तर्गत - पत्र उपरोक्त  
विधेयानुसार एकाजि विधि अन्तर्गत  
है एकाजि विधि अन्तर्गत एकाजि  
दर्ज नहीं है वरन् है।

निर्णय अन्तर्गत दिनांक 16/12/2022 को  
वर्ष कोर्ट में सुनाया गया।

पुनश्च! - उक्त आदेशिका लिखित  
गाने के उपरान्त नाम की दृष्टि से  
अधिकता वर्षों को पुनः सुना गया।  
वर्ष अधिकता वर्षों द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत  
पुनश्च सुप्रीम कोर्ट द्वारा - पत्र  
में अन्वयन किन्हीं विधि वर्षों का

पु. सं. 07  
2022

मंगेजासिंह कर्म (आ. स. ला.)  
या. पत्र 136 L.R. Act

नाम मंगेजासिंह पुत्र मंगेजासिंह लक्ष होना  
कामा है एवं इस नाम का ग्राम कर्म  
में अन्त वोटों का कि नहीं कामा एवं  
मंगेजासिंह व मंगेजासिंह एक ही व्यक्ति  
होना कामा तथा ग्राम पंचायत इस  
कारण एवं नाम का लक्ष संचालन  
रिक्त जाने पर वर्षों का प्रथम-पत्र  
स्वीकार किने जाने होय है।

इस वर्षों का प्रथम-पत्र स्वीकार  
रिक्त जाने पर आ. सं. नं. 1335/0-64 है  
वाके ग्राम कर्म तहसील - कोयलूनी  
के (ज. स. ला.) में मंगेजासिंह पुत्र मंगे  
सिंह के स्थान पर मंगेजासिंह पुत्र  
मंगेजासिंह कुलकर्णी किने जाने के विरुद्ध  
तहसीलदार कोयलूनी को किने जाने  
है पालनार्थ तहसील जायी है।

निर्णय दिनांक दिनांक 16/12/2022 को  
द्वय कार्य में जुतादा गया।

उपखण्ड अधिकारी  
कोयलूनी (जयपुर)